<u>समयबद्ध /गोपनीय</u>

<u>संख्या-73/2015/1050 /एक-6-2015-ए0क्यू0-2(02)/2008</u>

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर , 2015**

विषय: जनपद इलाहाबाद में हो रहे भयंकर भूमि घोटाले के कारण जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीवल मिशन के अन्तर्गत गरीबों के लिए भवन निर्माण योजना असफल होने एवं दोहरी प्रविष्टियो के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1238/एक-6-2015-ए0क्यू0-2(02)/2008, दिनांक 15-04-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 आश्वासन समिति द्वारा आश्वासन संख्या-148/2008 पर विचार करते हुए जनपद इलाहाबाद में दोहरी प्रविष्टियॉं होने की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने की संस्तुति की गयी है। आश्वासन समिति की बैठक दिनांक 13-11-2009 की कार्यवाही के उद्धरण संलग्न है।

3- इस मामले की जांच सकर्तता अधिष्ठान से कराये जाने की संस्तुति सतर्कता विभाग को भेजी गयी थी, जिसपर विचार करते हुए निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है:-

(1) प्रश्नगत प्रकरण में प्रशासकीय विभाग के स्तर पर प्रारम्भिक जांच के रूप में क्या कोई विभागीय जांच/परीक्षण कराया गया ? उसके परिणाम क्या रहे ?

(2) उक्त टिप्पणी में प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में कई याचिकाये दाखिल होने तथा उसमें प्रतिशपथ-पत्र आदि दाखिल किये जाने का उल्लेख किया गया है, कतिपय शासनादेश के स्थगन/निरस्त किये जाने व मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 भी विचारधीन होने का उल्लेख है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसी याचिका में कोई स्थगनादेश तो नहीं है जिसके विरूद्ध सतर्कता विभाग में " राज्य सतर्कता समिति" के माध्यम से सतर्कता जांच का निर्णय ले लिया जाय और मा0 उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायालयों के निर्णय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो जाये ?

(3) दोहरी प्रविष्टि का मामला (लगभग 23 वर्ष पूर्व) वर्ष 1992 में प्रकाश में आया । जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की गयी जांच की आख्या दिनांक 13-07-2009 की है। उक्त जांच

http://shasanadesh.up.nic.in

आख्या को आश्वासन समिति की बैठक दिनांक 13-11-2009 में अवश्य प्रस्तुत किया गया होगा? जब 13-11-2009 को आश्वास न समिति की बैठक में मामले की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, तभी समिति के आदेशों के अनुपालन में मामला राज्य सतर्कता समिति के समक्ष रखा जाना चाहिये था।

(4) जिलाधिकारी की जांच आख्या का क्या निष्कर्ष रहा एवं क्या संस्तुतियॉ की गयी है, स्पष्ट नहीं है।

(5) राजकीय अभिलेखों में दोहरी प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, की जांच आख्या में किसी अधिकारी/कर्मचारी के नाम का उल्लेख है अथवा नहीं ? क्या जिलाधिकारी द्वारा भी किसी विशिष्ट एजेन्सी से जांच कराये जाने की संस्तुति की गयी है ?

4- सतर्कता विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 2907(11)/39(2)/12(5)/74, दिनांक 19-11-2001 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जांच आख्या की प्रति एवं सतर्कता जांच हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव शासन को विलम्बत एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 1050(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को संलग्नक की प्रति सहित इस अनुरोध के प्रेषित कि कृपया सतत् रूप से अनुश्रवण करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्नक: यथोपरि।

आज्ञा से,

(डी0 के0 सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in